समाहरणालय, समस्तीपुर

(जिला सामान्य प्रशाखा)

जिला स्तरीय गुणवत्ता समन्वयक (District Quality Monity DQM) का पैनल का विज्ञापन

राज्य के शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु एवं मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अन्तर्गत विभाग से संबंधित क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रगति की स्वतंत्र निगरानी हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–09/न०वि०(DQM)/गठन–02/2017–172/न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक 08.05.2017 के आलोक में सेवानिवृत प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों का एक जिला स्तरीय गुणवत्ता समन्वयक (District Quality Monity DQM) का पैनल गठित किया जाना है। इच्छुक सेवानिवृत प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों से **दिनांक 20.08.2017 को संध्या 05:00 बजे तक** जिला सामान्य प्रशाखा, समाहरणालय, समस्तीपुर में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. सूचीबद्धता की शर्तें :–

(i) DQM में सूचीबद्ध होने के पात्र केवल वही प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी होंगे, जो न्यूनतम अपर समाहर्त्ता एवं कार्यपालक अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए हों।

(ii) DQM का चयन 02 वर्षों के सूचीबद्धता के आधार पर किया जायेगा। उनके द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षोपरान्त कार्य संतोषप्रद रहने पर उनकी सेवा विस्तार अगले 01 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।

(iii) DQM को प्रतिदिन (जिस दिन भ्रमण एवं जाँच जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार की जाती है) 1500/–रू० मानदेय देय होगा। साथ ही प्रतिवेदन तैयार कने हेतु 3000/– रूपये अलग से दिया जायेगा। DQM का भुगतान जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित शहरी स्थानीय के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

(iv) समस्तीपुर जिला के निवासी पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(v) 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत पदाधिकारी ही सूचीबद्ध होने के योग्य होंगे।

3. सूचीबद्ध होने के इच्छूक पदाधिकारियों का चयन जिला स्तरीय गठित कमिटी द्वारा किया जायेगा।

4. इन पदाधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

(i) DQM में सूचीबद्धता कार्य अधारित होगी, उन्हें उन क्षेत्रों का भ्रमण करना होगा जहाँ वास्तव में योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान उन्हें लाभान्वितों से मिलकर योजनाओं की जानकारी, क्रियान्वयन की स्थिति तथा सृजित परिसंमपत्तियों की गुणात्मक जाँच करनी होगी। भ्रमण कार्यक्रम जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। वे अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को देंगे।

(ii) DQM को उन योजनाओं की भी जाँच करनी होगी, जो नगर के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा जिला में चलाया जा रहा है। चलाये जा रहे योजनओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की भी जाँच कर वे अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

5. आवेदक सादा कागज पर आवेदन दे सकेंगे, जिसमें निम्न ब्यौरा अंकित होना चाहिए :–

(i) आवेदक का नाम :–..(मो०नं०)..

(ii) वर्तमान पत्राचार का पता :–..

(iii) किस पद से सेवानिवृत हुये हैं का नाम :–..............................एवं संवर्ग/कोटि....................

(iv) सेवा विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत हुए हैं :–..

(v) जन्म तिथि (इसके सत्यापन प्रमाण–पत्र के साथ) एवं विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि को उम्र यथा................वर्ष............माह.........दिन............

(vi) आवेदक को आवेदन के साथ एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उन्हें अंकित करना होगा की उनके विरूद्ध कोई निगरानी/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और विभाग के द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है।

6. किसी भी समय बिना कारण बताये विज्ञापन को निरस्त करने या विभागीय निदेशानुसार शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

7. इस विज्ञापन को जिला के वेबसाईट www.Samastipur.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

24/7/17

जिला पदाधिकारी

समस्तीपुर।